

अनवान बीजाराभ बनाम छगनाराम

सुकदना नंबर 146 / 2023

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुकम की
तामीलमेंजारीहुए

4.11.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 से 43 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड खतेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंऊ तहसील सिवाना की खसरा संख्या 41,46 व 90 रकबा क्रमशः 5.6251 , 5.7223 व 1.8292 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2024/1149

दिनांक : 19-11-2024

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण
बीजाराम पुत्र हकमाराम छगनाराम पुत्र चूनाराम वगौराह
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं 146/2023

दिनांक :- 04.11.2024

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 41,46 व 90 रकबा क्रमशः 5.6251,5.7223 व 1.8292 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/-प्रार्थी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक /2024/1150-1153
प्रतिलिपि :

दिनांक : 19-11-2024

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी पंऊ को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी बीजाराम पुत्र हकमाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा




उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)